

## आदेशः

जनपद देहरादून में COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों के निरन्तर चिन्हित होने के फलस्वरूप संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये हैं।

अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सप्ताह में दो दिन प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी प्रतिष्ठान, दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगी। उक्त दिवसों में निम्नलिखित सेवायें ही संचालित हो सकेगी:-

- 1— मेडिकल दवाओं की दुकानें।
- 2— डेरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें)।
- 3— फल, सब्जी की दुकानें।
- 4— पेट्रोल पम्प।
- 5— शुक्रवार की सांय 07 बजे से सोमवार की प्रातः 07 बजे तक लॉक डाउन का कडाई से अनुपालन कराया जायेगा।
- 6— अन्य दिवसों में सांय 07 बजे से अगले दिवस प्रातः 07 बजे तक पूर्व की भाँति व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त लॉक डाउन सम्बन्धी आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी।

(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)  
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

### कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 2457/सीपीओ-डीएम-2020

दिनांक : ०४, जून, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1— मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 2— अपर मुख्य सचिव महोदय, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
- 3— सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 4— सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 5— आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 6— उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7— नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
- 8— मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 9— अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रशासन, देहरादून।
- 10—नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
- 11—मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
- 12—समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद-देहरादून।

जिला मजिस्ट्रेट,  
देहरादून।